रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 12, 2003/फाल्गुन 21, 1924
No. 240] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 12, 2003/PHALGUNA 21, 1924

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2003

का.आ. 285(अ).—केन्द्रीय सरकार, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) के अनुसरण में और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 246(अ) तारीख 28 फरवरी, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट कीमत को, जो 12 मार्च, 2003 से प्रति टन ऐसी अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है, जिस पर उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उर्वरक का, चाय, काफी या रबर के बागानों के उगाने वालों या खेतिहरों को बोरों में विक्रय किया जाएगा।

अनुसूची

क्रम सं.	उर्वरक का नाम	प्रतिटन अधिकतम कीमत (शुद्ध) (रुपयों में)
(1)	(2)	(3)
1.	यूरिया (46% एन)	4830
2.	जिंकेटेड यूरिया	5900
3.	एनहाइड्रस अमोनिया	7710

स्पष्टीकरण I.— ऊपर विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत में केन्द्रीय विक्रय कर, राज्य विक्रय कर और अन्य स्थानीय कर, चाहें खुदरा विक्रय स्थल पर या मध्यवर्ती प्रक्रमों पर, जहां कहीं भी उद्गृहीत किए जाते हैं, सम्मिलित नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण II.— जहां किसी उर्वरक का विक्रय, 25 किलोग्राम से अनधिक मात्रा में किया जाता है, वहां व्यौहारी, उर्वरक के छोटे थैलों पर अनुसूची में विनिर्दिष्ट कीमत के अतिरिक्त निम्नलिखित राशि प्रभारित कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) 2 किलोग्राम की पैकिंग पर 1.50 रुपए प्रति पैकिंग;

(ख) 5 किलोग्राम की पैकिंग पर 2.25 रुपए प्रति पैकिंग;

(ग) 10 किलोग्राम की पैकिंग पर 3.50 रुपए प्रति पैकिंग; और

(घ) 25 किलोग्राम की पैकिंग पर 5.00 रुपए प्रति पैकिंग।

[फा. सं. 1-5/2003-उ.वि.]
सतीश चन्द्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2003

S.O. 285(E).—In pursuance of sub-clause (1) of clause 3 of the Fertiliser (Control) Order, 1985, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation) number S.O. 246(E) dated the 28th February, 2003 (hereinafter referred to as the said notification), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby fixes, with effect from the 12th day of March, 2003, the price specified in column (3) of the Schedule annexed hereto, as the maximum price per tonne, at which fertilizer specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule shall be sold in bags to the growers of tea, coffee or rubber plantations or to the cultivators.

SCHEDULE

S. No.	Name of the fertiliser	Maximum price per tonne (net) (in Rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	Urea (46% N)	4830
2.	Zincated Urea	5900
3.	Anhydrous Ammonia	7710

Explanation I.—The maximum price specified above shall be exclusive of the Central Sales Tax, the State Tax and other local taxes wherever levied, whether at the retail sales point or at an intermediate stages.

Explanation II.—Where the sale of any fertiliser is made in quantities not exceeding 25 kilograms, the dealer may charge the following amount on small fertiliser bags in addition to the price specified in the Schedule namely :—

(a) On packing of 2 kg, Rs. 1.50 per packing;

(b) On packing of 5 kg, Rs. 2.25 per packing;

(c) On packing of 10 kg, Rs. 3.50 per packing; and

(d) On packing of 25 kg, Rs. 5.00 per packing.

[F. No. 1-5/2003-Fert. Law]

SATISH CHANDER, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.